

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अतुल कुमार सिंहा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना।

गोपनीय रूप

से परामर्शित। (द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना)

पटना-15, दिनांक.....

विषय: बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार के ज्ञापांक-12981, दिनांक-03.12.2009 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति के बदले कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) अभिलिखित करने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अधीन यह भी निर्णय लिया गया है, कि 40 वर्ष से ऊपर के पदाधिकारियों के लिये वार्षिक स्वास्थ्य जाँच भी अनिवार्य होगा, जिसका प्रपत्र भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के समरूप ही होगा। स्वास्थ्य जाँच कराने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश इस विभाग के द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

इस परिपेक्ष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित जाँच सरकारी अस्पतालों एवं जाँच संस्थानों में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सम्पादित किया जायेगा एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई की मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू०1500 (एक हजार पाँच सौ रुपये) की होगी।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अतुल कुमार सिंहा)

सरकार के अपर सचिव।

पटना-15, दिनांक.....

ज्ञापांक- सी०आर०को०-138/2010 सा०प्र०,

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास अयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

झापांक सी0आर0को0 138/2010 सा0प्र0,

प्रतिलिपि सभी माननीय मंत्री के अपर सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना-15, दिनांक

३०/११

सरकार के अपर सचिव।

झापांक- सी0आर0को0-138/2010 सा0प्र0, १५११

पटना-15, दिनांक-1-7-11

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।